

वादीगण का वाड र-वीडार डिवा जाता है तथा  
 प्राथमिक डिडी इस आशय की ही जाती है कि  
 ग्राम जैलपुरा की सरहद में स्थित ग्राम क्र. 201,  
 204/1, 549, 550, 551, 552, 585,  
 662/2 बिला - 8 का रकबा 3.22 है. व क्र. 200  
 रकबा 1.42 है. में वादीगण एवं आदिवासी  
 सं. 10000 8 का कर्ब दिखता एवं कच्चा डे  
 अनुसार रास्ते का आवकाण रखते उसे विधिवत  
 विभाजन दिये जाने का आदेश दिया जाता है  
 लखनऊ लखनऊ उदयपुरवासी उदयपुरवासी  
 की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें  
 तथा मय नक्शा डे डे आदिओं में न्यायालय  
 हाजा में प्रस्तुत करें। डिडी पर्याप्त जारी हो।

पक्कावली फॉर्मल प्रमाण लेकर नक्शा स  
 कर ही तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-6-78 को उदय  
 कोर्ट पोसाजा में सुनाया गया।

उपखण्ड न्यायाधीश  
 उदयपुरवासी